

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 206 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई, 13, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विशय- प्रस्तावक सं० FP/UK/ROAD/9783/2015 जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोड़ा
मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर का पत्रांक 254/12-1
दिनांक 11.07.2017

महोदय,

उपयुक्त विशयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:-

Question	Answer
In reply to point no- 2 it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-I. The muck disposal is proposed to be done on Nap land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B2.4 of online Part-I. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2& B-2.3 of online Part-I also.	(Answer point no-2 of eds) Non Forest land की प्रविष्टि para A-1 (ix) में कर दी गई है और coponent wise Non Forest land की प्रविष्टि भी para B-2-1, B-2..2, B-2.3 में कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

पत्रांक 254

112-1

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 11

/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पीथी।

विषय:- जनपद धर्मोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घटोड़ा मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 1779/10 एलओ एम दिनांक 06.07.2017 द्वारा उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगायी गई आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार किया गया है।:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	In reply to point no- 2 it is mentioned that 1.099 ha of forest land proposed for diversion required for road construction only has been shown in the component wise breakup in online part-I. The muck disposal is proposed to be done on Nap land, which is not required to be diverted but the requirement of non-forest land is shown as 0.00 ha in para-A-1 (ix) and the component wise requirement of non-forest land has also not been shown in para-B2.4 of online Part-I. Further, the non-forest land has not been shown in para-B-2.1, B-2.2& B-2.3 of online Part-I also.	(Answer point no-2 of eds) Non Forest land की प्रविष्टि para A-1 (ix) में कर दी गई है और coponent wise Non Forest land की प्रविष्टि भी para B-2-1, B-2.2, B-2.3 में कर दिया गया है।

अतः आप उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन०एम०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।